राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 70( ) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./जल संरक्षण प्रशि./2015–16 जयपुर, दिनांक

22 FEB 2016

समस्त जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)

विषय – मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की डी.पी.आर. में शामिल कार्यों की क्रियान्विती के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **दिनांक 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है। 295 पंचायत समितियों की 1324 ग्राम पंचायतों के 3529 गांव** में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की डी.पी.आर. अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण विकास की संचालित योजनाओं से जल संरक्षण के कार्य कराये जाने हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा गत मंत्रीपरिषद की बैठक के दौरान समस्त माननीय मंत्री महोदय के समक्ष विस्तृत समीक्षा की गई। महात्मा गांधी नरेगा में अपेक्षित कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ नहीं किये जाने के फलस्वरुप नाराजगी व्यक्त की गई।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की गतिविधियों का माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मुख्य सचिव महोदय स्तर से निरन्तर साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। **साथ ही विदित है कि प्रथम चरण के कार्यों को दिनांक 30 जून 2016 तक आवश्यक रुप से पूर्ण किया जाना है।**

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की डी.पी.आर में महात्मा गांधी नरेगा एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लिए निम्न अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे –

1. डी.पी.आर में शामिल समस्त कार्यों की स्वीकृति 7 दिवस में जारी की जावे।
2. समस्त स्वीकृत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जावें।
3. जिन गांव में कार्यों पर श्रम नियोजन एवं अपेक्षित मानव दिवस सृजन की संख्या कम है ऐसे गांव में अन्य गांव के मजदूरों को नियोजित कर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण कराये जावें।
4. जिला स्तर पर मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की तैयार की गई डी.पी.आर. में महात्मा गांधी नरेगा निधियों से कराये जाने वाले कार्यों में प्रति ग्राम प्रतिदिन श्रम नियोजन का आंकलन संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इस आधार पर प्रत्येक चयनित गांव में श्रमिक नियोजन की कार्यवाही की जावे।
5. महात्मा गांधी नरेगा में सम्पादित कराये जाने वाले कार्य 30 जून 2016 तक पूर्ण होने हैं। दिनांक 01 अप्रेल 2016 से नया वित्तीय वर्ष (2016–17) चालू होगा। अतः वित्तीय वर्ष शुरु होने से पूर्व सामग्री क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे। जिससे की कार्य बाधित नहीं हों।